

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 110 /21

उनवान

मिदू पिता नन्दराम गाडरी निवासी भगवानपुरा तहसील शाहपुरा

- प्रार्थी

बनाम

- 1- मिदू पुत्र मोहन दास वैष्णव निवासी भगवानपुरा तहसील शाहपुरा
- 2- प्रहलाद राय शर्मा पुत्र छगन लाल ब्राह्मण निवासी पंचायत समिति के पास, शाहपुरा
- 3- नन्द लाल पुत्र नाथु लाल कोली निवासी भगवानपुरा तहसील शाहपुरा
- 4- मंजु देवी पत्नी मिश्री लाल कोली निवासी भगवानपुरा तहसील शाहपुरा
- 5-6 दुर्गा, नन्दा पुत्र हजारी उर्फ हरजिया भील निवासी भगवानपुरा तहसील शाहपुरा
- 7- शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा शाहपुरा
- 8- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री दिनेश चन्द्र व्यास
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 11/08/2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थी ग्राम रघुराजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 44 रकबा 1.26 है0 कुल कित्ता 1 रकबा 1.26 हैक्टियर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 एवं 5 लगायत 8 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 2 लगायत 4 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम रघुराजपुरा संवत् 2075 से 2078 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् का प्रार्थी खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रघुराजपुरा में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् कित्ता 1 रकबा 1.26 हैक्टियर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1000/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/08/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.